

मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक: 21 नवम्बर, 2022

क्रमांक: FCS/7/1/2022/29-1, राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आवंटित राशन सामग्री को प्रदाय केन्द्र से उचित मूल्य दुकानों तक परिवहन की "मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना" लागू करता है।

2. विस्तृत योजना संलग्न है।
3. उक्त पर राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक में आयटम क्रमांक 12 दिनांक 09 नवम्बर, 2022 से स्वीकृति प्राप्त है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


21/11/2022
(बी.के. चन्द्रेल)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं

उपभोक्ता संरक्षण विभाग

भोपाल, दिनांक: 21 नवम्बर, 2022

पृ. क्रमांक: FCS/7/1/2022/29-1

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन।
2. विशेष सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, मध्यप्रदेश शासन।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
4. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, भोपाल।
7. संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश।
8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेरहाइसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल।
9. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।


21/11/2022
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं

उपभोक्ता संरक्षण विभाग

"मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना"

1. पृष्ठभूमि-

1.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों तक खाद्यान्ज सामग्री के प्रदाय का प्रावधान है। वर्तमान में द्वार प्रदाय योजनांतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा प्रदाय केन्द्रों से उचित मूल्य दुकान तक खाद्यान्ज एवं अन्य सामग्री के परिवहन का कार्य निविदा के माध्यम से नियुक्त परिवहनकर्ताओं से कराया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

प्रदाय केन्द्र	परिवहन सेक्टर	परिवहनकर्ता	उचित मूल्य दुकान	मासिक परिवहन योग्य राशन सामग्री
223	120	98	26000	3.13 लाख मे. टन

1.2 प्रदाय वर्तमान में द्वार प्रदाय योजनांतर्गत उचित मूल्य दुकान तक राशन सामग्री के प्रदाय में निम्नानुसार कठिनाई/समस्या आ रही हैं :-

- i परिवहन व्यवस्था ठेकेदारों के हाथों में।
- ii Un-viable दर पर ठेका प्राप्त करना।
- iii समय पर सामग्री का परिवहन न करना।
- iv परिवहन में अनियमितता के प्रकरण।

1.3 प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखण्डों की उचित मूल्य दुकानों से सम्बद्ध आश्रित ग्रामों में हितग्राहियों तक स्थानीय युवाओं के माध्यम से राशन पहुँचाने हेतु "मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना" संचालित है, जिसके परिणामस्वरूप राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या में तीन माह के औसत के अनुसार 2.3% और वितरण की मात्रा में 3.9% की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के अनुसार ही प्रदाय केन्द्र से उचित मूल्य दुकानों तक राशन पहुँचाने के लिए नवीन योजना की आवश्यकता प्रतीत हुई है।

2. योजना का नाम-

इस योजना का नाम "मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना" है।

3. योजना के उद्देश्य-

- 3.1 निर्धारित समय-सीमा में उचित मूल्य दुकानों पर राशन सामग्री का प्रदाय;
- 3.2 खाद्य सामग्री के व्यपवर्तन को रोकना;
- 3.3 प्रदायकर्ता के लिए नवीन रोजगार का सृजन।

4. योजना का स्वरूप -

- 4.1 प्रदाय केन्द्रों से राशन सामग्री का उठाव कर दुकानों पर प्रदाय करने के लिए स्थानीय बेरोजगार युवकों को बैंक ऋण के माध्यम से वाहन प्रदाय किया जाएगा। प्रदाय वाहन की क्षमता, लागत एवं मार्जिन मनी का विवरण निम्नानुसार है -

वाहन क्षमता	वाहन की लागत	मार्जिन मनी	राज्य शासन अनुदान	हितग्राही अंतर
7.5 मे.टन	रु. 25 लाख	10%	रु. 1.25 लाख	रु. 1.25 लाख

- 4.2 हितग्राहियों को वाहन क्रय के लिए स्वीकृत ऋण राशि हेतु कुल मार्जिन मनी अनुमानित रूपये 11.10 करोड़ का भुगतान वित्त विभाग से प्राप्त कर विभागीय बजट से देय होगा।
- 4.3 हितग्राही द्वारा चयनित वाहन रु. 25 लाख से अधिक का होने पर आधिकरण राशि हितग्राही द्वारा वहन करना होगी।
- 4.4 प्रतिमाह/वाहन अधिकतम 3000 किंवंटल राशन सामग्री का परिवहन एवं अधिकतम 4000 कि.मी. की दूरी तय करना होगी, इस आधार पर जिलेवार आवश्यक वाहन संख्या का आंकलन किया गया है, जिसकी जानकारी परिशिष्ट-1 अनुसार है।
- 4.5 राशन सामग्री परिवहन का कार्य माह में 15 से 20 दिवस तक किया जाएगा एवं शेष दिवसों में समर्थन मूल्य पर उपार्जित खाद्यान्न (46 लाख मे.टन, व्यय राशि रु. 236 करोड़) एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न (39 लाख मे.टन, व्यय-राशि लगभग रु. 200 करोड़) का अंतर जिला परिवहन के साथ-साथ अन्य कार्य भी किए जा सकेंगे।
- 4.6 राशन सामग्री के परिवहन एवं हैण्डलिंग के लिए 7 वर्ष हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन एवं वाहन मालिक के मध्य त्रि-पक्षीय अनुबंध निष्पादित किया जाएगा।
- 4.7 नियत सेक्टर में संचालित उचित मूल्य दुकान पर आवंटित सामग्री का प्रदाय माह की 11 से 30 तारीख तक वाहन मालिक को करना होगा। समय-सीमा में राशन सामग्री का परिवहन न करने पर मासिक किराया राशि पर अधिकतम 30%

(१४)

पेनाल्टी अधिरोपित की जा सकेगी किन्तु, इस हेतु हितग्राही को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। परिवहन के दौरान राशन सामग्री का व्यपवर्तन वर्जित रहेगा।

5. हितग्राही की अहता-

- 5.1 आवेदक संबंधित सेक्टर की जनपद पंचायत का मूल निवासी होगा।
- 5.2 आवेदक की न्यूनतम आयु 18 से अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी।
- 5.3 आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- आठवीं कक्षा उत्तीर्ण।
- 5.4 आवेदक के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय रु. 12 लाख होगी।
- 5.5 आवेदक हेवी मोटर व्हीकल संचालन हेतु स्थाई वैध लायसेंस धारक होना होगा।
- 5.6 आवेदक बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु पात्र हो। (डिफाल्टर न हो)
- 5.7 आवेदक शासकीय सेवक और पेंशनर न हो। (सेवानिवृत्त सैनिक को पात्रता होगी)
- 5.8 आवेदक अन्य स्वरोजगार योजना में लाभांशित न हो।
- 5.9 आवेदक अपराधिक प्रवृत्ति एवं पृष्ठभूमि का न हो।

6. हितग्राही का चयन प्रक्रिया-

- 6.1 पात्र हितग्राहियों को आवेदन करने हेतु दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी किया जाएगा;
- 6.2 विभाग द्वारा निर्धारित पोर्टल पर हितग्राही को ऑनलाईन आवेदन एक जनपद के सभी सेक्टर के लिए किया जा सकेगा, किन्तु कार्य केवल एक सेक्टर हेतु आवंटित किया जाएगा।
- 6.3 बैंक द्वारा ऋण की पात्रता के आधार पर आवेदन का परीक्षण किया जाएगा एवं परीक्षण में पात्र पाए गए हितग्राहियों में से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति (जिला पंचायत, नगरीय निकाय, सहकारिता, खाद्य, परिवहन, जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग एवं बैंक के अधिकारी) द्वारा हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। एक सेक्टर के लिए एक से अधिक पात्र आवेदन प्राप्त होने पर पारदर्शी तरीके से लॉटरी के माध्यम से हितग्राही का चयन किया जाएगा।

7. ऋण की स्वीकृति -

- 7.1 हितग्राही को वाहन क्रय करने हेतु ऋण स्वीकृति के लिए न्यूनतम ब्याज दर (8.9%) के आधार पर सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चयन किया गया है। बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव (परिशेष्ट-2) संलग्न है। RBLR (Revised Repo Based Landing Rate) के अनुसार ब्याज दर परिवर्तनशील होगी।

१४

- 7.2 हितग्राहियों को वाहन क्रय करने हेतु ऋण मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजनांतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें हितग्राहियों को निम्नानुसार रियायत दी जाएगी :-
- ऋण अवधि 7 वर्ष;
 - ब्याज अनुदान- 3% वार्षिक;
 - ऋण गारंटी (CGTMSE) शुल्क की वापसी;
 - विभाग द्वारा 1.25 लाख प्रति वाहन मार्जिन मनी अनुदान।
8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्ज के परिवहन एवं हैण्डलिंग कार्य हेतु हितग्राहियों को रु. 65 प्रति किंवंटल के मान से राशि का भुगतान मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा किया जाएगा। वाहन के संचालन पर होने वाले व्यय एवं आय का विवरण निम्नानुसार है -

मद	लागत		व्यय गणना	मासिक व्यय
वाहन पर व्यय	वाहन ऑन रोड कीमत	25 Lakh	Interest rate 8.9% for 7 years (परिशिष्ट-3)	40061
	हितग्राही द्वारा देय मार्जिन राशि	1.25 Lakh		
	विभाग द्वारा देय अधिकतम मार्जिन राशि	1.25 Lakh		
	CGTMSE Fee- 2.71% of loan amount for 7 years	2.47 Lakh		
डीजल व्यय	Average 4000 Km monthly running and Mileage as 6 Km/liter		667liters@ Rs.93.9/liter	62631.3
डीजल एक्जास्ट फ्यूल (DEF)	4% of Diesel Quantity		27 liters@ Rs.77/liter	2079
वाहन चालक वेतन	प्रतिमाह			12500
वाहन संधारण व्यय	प्रतिमाह			13000
लाभ	प्रतिमाह			15569
लोडिंग/अनलोडिंग व्यय	रु. 12.50 प्रति किंवंटल प्रतिमाह			37500

१४

मद	लागत	व्यय गणना	मासिक व्यय
इन्श्योरेंस व्यय	प्रतिमाह		10000
योग	प्रतिमाह		193700
	प्रतिमाह वाहन द्वारा परिवहन मात्रा (किंवंटल में)		3000
	दर रु. प्रति किंवंटल		64.57
	अनुमानित दर रु. प्रति किंवंटल (पूर्णांक में)		65.00
परिवहन प्रतिमाह	परिवहन दर (3000 किंवंटल x रूपए 65/ किंवंटल प्रतिमाह		157500
लोडिंग/अनलोडिंग व्यय	रु. 12.50 प्रति किंवंटल प्रतिमाह		37500
	कुल प्रतिमाह देय राशि		195000

- 8.1 अन्य योजना के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्ज, शक्कर एवं नमक के परिवहन एवं लोडिंग-अनलोडिंग पर शासन द्वारा निर्धारित दर अनुसार राशि का भुगतान किया जाएगा।
- 8.2 प्रचलित डीजल की दर में अनुबंध होने के पश्चात वृद्धि होने पर वाहन संचालन पर होने वाली कुल व्यय में डीजल पर व्यय के समानुपात एवं डीजल दर में वृद्धि के कारण अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति के आधार पर परिवहन दर (रु. 52.50 प्रति किंवंटल) में निम्न गणना सूत्र के आधार पर वृद्धि की जाएगी :-
निर्धारित परिवहन दर में प्रतिशत वृद्धि = $0.40 \times$ डीजल की दर में प्रतिशत वृद्धि।
- 8.3 डीजल की दर में संचालक खाद्य द्वारा गठित समिति द्वारा प्रति तीन माह में डीजल की दर में वृद्धि का परीक्षण किया जाकर उक्त गणना सूत्र अनुसार परिवहन दर में वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि भारत सरकार द्वारा परिवहन एवं हैण्डलिंग हेतु निर्धारित दर की सीमा तक की जा सकेगी।
- 8.4 उक्त का प्रभाव केवल परिवहन दरों में दिया जाएगा। यह प्रभाव लोडिंग व अनलोडिंग की दरों पर नहीं दिया जाएगा।

9. योजनांतर्गत व्यय एवं हितग्राहियों को प्राप्त होने वाली आय-

कुल वाहन संख्या	888
प्रति वाहन लागत	रु. 25 लाख
कुल योजना लागत	रु. 222 करोड़

वाहन की जीवन प्रत्याशा	15 वर्ष
ऋण अवधि	07 वर्ष
ब्याज दर (RBLR की प्रचलित दर अनुसार)	8.9%
7 वर्ष पश्चात् वाहन का मूल्य(Depreciated Value)	रु. 2.05 लाख

9.1 अनुमानित व्यय-

विवरण	प्रति यूनिट लागत (लाख)	कुल लागत (करोड़)
3% ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति	2.21	19.62
मार्जिन मनी	1.25	11.10
योग	3.46	30.72

9.2 अनुमानित आय-

विवरण	प्रति यूनिट आय (लाख)	कुल आय (करोड़)
पंजीयन + रोड टेक्स	2.10	18.65
जीएसटी (14%-राज्य जीएसटी)	2.35	20.86
वाहन बीमा पर जीएसटी (9%- राज्य जीएसटी)-7 वर्ष	0.35	03.11
योग	4.80	42.63

10. राशन सामग्री के परिवहन हेतु 7.5 MT ($\pm 10\%$) क्षमता के कुल 25 श्रेणी के वाहनों को विभाग द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। कंपनीवार वाहनों के मॉडल, पे-लोड एवं लागत की जानकारी परिशिष्ट-4 अनुसार है, इन वाहनों में से हितग्राही द्वारा किसी भी वाहन का चयन किया जा सकेगा।
11. राशन सामग्री परिवहन करने वाले वाहनों में जीपीएस लगाया जाएगा, जिसकी मॉनीटरिंग राज्य स्तर पर सेण्ट्रल कमाण्ड कंट्रोल से वाहन मूव्हमेंट के माध्यम से की जाएगी।
12. राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों पर प्रदर्शन एवं मार्झिक सिस्टम लगाया जाएगा।
13. वाहन मालिक द्वारा अनुबंध दिनांक से 4 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् योजना से बाहर हो सकेगा, किन्तु विभाग द्वारा वाहन क्रय हेतु उपलब्ध कराई गई मार्जिन मनी वर्तमान में प्रचलित ब्याज दर से वापस करना होगी। सामग्री के परिवहन में किसी

१५

प्रकार की अनियमितता/गबन करने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

14. **योजना का मूल्यांकन-**

योजना का मूल्यांकन प्रशासकीय विभाग द्वारा समय-समय पर अटल बिहारी वाजपेयी मुशासन संस्थान से कराया जाएगा।

15. **योजनांतर्गत कठिनाईयों का निराकरण-**

योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण प्रशासकीय विभाग द्वारा सक्षम स्वीकृती उपरांत किया जाएगा। वित्तीय कठिनाईयों का निराकरण वित्त विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

⑩/1
21/11/2022
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग